भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/13/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 29 दिसंबर, 2022

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -13/2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ-अधेसिव विनायल (एसएवी)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. पायोनीर पॉलीलेदर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण., (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ-अधेसिव विनायल (एसएवी)" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु लंबे समय से भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारत में आयात की जा रही है और ऐसे आयातों से याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है तथा आवेदक ने

संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ-अधेसिव विनायल (एसएवी)" है । "सेल्फ-अधेसिव विनायल को व्यापक रूप से बाजार में सेल्फ-"अधेसिव विनायल पॉली विनायल क्लोराइड फिल्म", अधेसिव विनायल, विनायल, विनायल फिल्म', सेल्फ-अधेसिव पीवीसी फिल्म, वन वे विजन विनायल या कोल्ड लेमिनेशन फिल्म के नाम से भी जाना जाता है । यह उत्पाद एक अधेसिव- बैग्ड विनायल है जो विभिनन सतहों पर इसके प्रयोग को संभव बनाता है । आगे आवेदक का दावा है कि विचाराधीन उत्पाद में सभी प्रकार के एसएवी शामिल हैं ।

4. सेल्फ-अधेसिव विनायल एक लोचशील और बहु-प्रयोगी सामग्री है, जो दीवारों या कठोर सतहों पर लगाने के लिए आदर्श है । इसकी तीन अलग-अलग पर्तें या सामग्री होती है अर्थात (i) पॉलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) फिल्म, (ii)एकअधेसिव परत, और (iii) रेलीज लायनर । पॉलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) मोनोमेरिक, पॉलीमेरिक या काष्ठ हो सकता है और इसकी मोटाई प्रयोग के आधार पर अलग-अलग हो सकती है । यह परत अंततः लक्षित सतह पर लेमिनेशन या किसी विज्ञापन सामग्री आदि के रूप में लगा दी जाती है। अधेसिव परत को फिल्म और रिलीज लाइनर के बीच लगाया जाता है और अंततः यह सेल्फ अधेसिव विशेषता के साथ फिल्म में अंतरित हो जाती है । रिलीज लाइनर कोई कागज या कोई पैट फिल्म या कोई अन्य सामग्री हो सकता है जो निकल जाए और हटा दिया जाए ।

5. एसएवी को वांछित पीवीसी फिल्म, इन दोनों के बीच एक उपयुक्त अधेसिव सहित रिलीज लाइनर को साथ लाकर उत्पादित, रोल्ड और उचित ताप उपचार लाइन में उपचारित किया जाता है । एसएवी को विशाल रोल में उत्पादित किया जाता है और बाद में वांछित लंबाई या चौड़ाई में काटा जाता है । सतह फिनिश और विनायल शीटों की अन्य विशेषताएं प्रयुक्त फिल्मों और लाइनरों के प्रकारों तथा फिल्मों को रोल करते समय प्रयुक्त रोलरों के प्रकारों पर निर्भर करती है ।

6. कथित पाटित वस्तुएं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के शीर्ष 3919 के अंतर्गत वर्गीकृत है । याचिकाकर्ता ने बताया है कि इसका कोई समर्थित टैरिफ कोड नहीं है और यह सामान्यत: 3919 90 90 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है । याचिकाकर्ता दावा करता है कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है : 3919 90 90, 3919 10 00, 3919 90 10, 3919 90 20, 3920 99 19, 3920 99 59, 3920 99 99, 3920 69 29, 3921 90 99, 3926 90 99। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) पद्धति अपनाने का प्रस्ताव किया है । इस प्रयोजनार्थ आवेदक पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव करता है और उसने निम्नानुसार सुझाव दिया है :

क्र. सं.	मानदंड	मूल्य	कोड
1	एसएवी की विनिर्माण प्रक्रिया	अधेसिव परतबंदी	एन
2	प्रयुक्त फिल्म का प्रकार	1. कलैंडर पीवीसी फिल्म क. मोनोमेरिक ख. पोलीमेरिक 2. कास्ट पीवीसी फिल्म 3. वन वे विजन विनायल के लिए छिद्रित पीवीसी फिल्म	एम पी सी ओ
3	प्रयुक्त रिलीज लाइनर का प्रकार	1. पेपर 2. पॉलीमर फिल्म	1 2
4	प्रयुक्त ग्लू/अधेसिव का प्रकार	1. सेल्फ अधेसिव स्थायी 2. सेल्फ-अधेसिव रिपोजिसनेबल 3. अन्य	1 2 3

5	रंग	1. सफेद (विभिन्न शेड/टोन) 2. पारदर्शी /पारभासी रंग / 3. रंगीन/मुद्रित	1 2 3

नोट: *यद्यपि फिल्म की मोटाई और रिलीज लाइनर की मोटाई वर्ग मीटर में तुलना के समय दो चर हैं क्योंकि जांच के प्रयोजनार्थ अपनाई गई इकाई भार है अर्थात कि.ग्रा. है, इसलिए फिल्म की मोटाई, रिलीज लाइनर की मोटाई और रोल की लंबाई की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसलिए उसे पीसीएन में मापदंड के रूप में शामिल नहीं कया गया है।*

8. तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित पीयूसी/ पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रदान कर सकते हैं ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश में उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं/विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है । उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. यह आवेदन चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है ।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. यह याचिका पायनियर पॉलीलेदर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है । आवेदक ने दावा किया हैं कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है । आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वह चीन.जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है । उपर्युक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार, स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है । आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है । आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए ।

13. इस जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य पर उत्पादन लागत के आधार पर और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय का तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद विचार किया है ।

ii. निर्यात कीमत

14. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को याचिकाकर्ता द्वारा डी जी सी आई एंड एस और किसी गौण स्रोत द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक

प्रभारों के लिए कीमत समयोजन किए गए हैा । आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं ।

III. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतमसीमा से अधिक और काफी अधिक है । इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है ।

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से कथित पाटन, कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास और घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय और क्षमता उपयोग के संबंध में उसके कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश

करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि

18. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 महीने) पर विचार किया है । क्षति की अवधि में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तथा जांच की अवधि शामिल है ।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

19. वर्तमान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी

लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलपब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in. पर ईमेल के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने के पर्याप्त कारण बताने चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचनामें निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है तो उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपर्युक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संभव नहीं है, यह प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए । अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं ।

32. गोपनीयता के दावे के संबंध में सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार किसी

पर्याप्त और पूर्ण कारण संबंधी विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें

ढ. <u>असहयोग</u>

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी